न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – पीयुष समारिया (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
006/2023(रसद) (GCMS 2023/82)	**03.03.2023**	**26.09.2023**

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये हनु इन्द्र सिंह प्रवर्तन निरीक्षक, गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

जगदीश चन्द्र जाट (उचित मूल्य दुकान) एफपीएस नंबर 24326 निवासी लालास तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (मोबाईल 79765 31841)

विपक्षी

उपस्थिति :– पैरोकार सरकार — प्रार्थी
एक तरफा — विपक्षी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि आवेदक प्रवर्तन निरीक्षक हनु इन्द्र सिंह, गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 18.02.2023 को 4.25 पीएम को जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ मय टीम प्रवर्तन अधिकारी हितेश जोशी एवं आवेदक प्रवर्तन निरीक्षक उचित मूल्य दुकान 24326 लालास तहसील गंगरार के औचक निरीक्षण पर पहुँचें। वक्त निरीक्षण उचित मूल्य दुकानदार जगदीश जाट मौके पर उपस्थित नहीं पाया व गेंहूँ वितरण उपस्थित व्यक्ति अरूण जाट पिता जगदीश जाट द्वारा किया जा रहा था। अरूण कुमार व मौतबिरान रतनलाल जाट पिता अमरचन्द जाट निवासी लालास व मांगीलाल जाट पिता किशोर जाट निवासी लालास की मौजूदगी में उक्त दुकान का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण उचित मूल्य के स्टॉक में एनएफएसए गेंहूँ एवं पीएमजेकेवाई गेंहूँ के स्टॉक के भौतिक सत्यापन में कुल 746 किलोग्राम गेंहूँ अधिशेष पाया गया। गवाहों के समक्ष भौतिक सत्यापन करने पर प्रमाणितशुदा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दुकान में 746 किलोग्राम गेंहूॅ स्टॉक से अधिक पाया गया। उक्त गेंहूॅ को उचित मूल्य दुकानदार एफपीएस 24326 के प्रतिनिधि अरूण जाट के कब्जे से अधिग्रहित कर मौके पर निकट के उचित मूल्य दुकानदार लक्ष्मीलाल मेवाडा एफपीएस कोड 13687 के प्रतिनिधि पुत्र फतहलाल मेवाडा निवासी ग्राम सालरिया ग्राम पंचायत लालास तहसील गंगरार को सुपुर्द किया गया। मौके पर फर्द अधिग्रहण जब्ती तैयार कर मौतबिरान के समक्ष पढ लिख सुनकर बिना किसी दबाव के हस्ताक्षर कराये गये। अन्त में प्रार्थना की गई कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए सपठित राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 में जब्तशुदा सामग्री 746 किलोग्राम गेंहूॅ मय बारदाना निस्तारण करानें का आदेश प्रदान करावें।

इस पर आवेदक प्रवर्तन निरीक्षक के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना–पत्र मय नकल प्रार्थना–पत्र के तलब किया गया। दिनांक 26.09.2023 को विपक्षी के बाजवूद सूचना के के हाजिर नहीं आने से विपक्षी के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई।

इस पर हाजिर पैरोकार सरकार द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। इस पर हाजिर पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली को एक तरफा सुना गया। सर्वप्रथम पैरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस पत्रावली में प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि दिनांक 18.02.2023 को 4.25 पीएम को जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ मय टीम प्रवर्तन अधिकारी हितेश जोशी एवं आवेदक प्रवर्तन निरीक्षक उचित मूल्य दुकान 24326 लालास तहसील गंगरार के औचक निरीक्षण पर पहुॅचें। वक्त निरीक्षण उचित मूल्य दुकानदार जगदीश जाट मौके पर उपस्थित नहीं पाया व गेंहूॅ वितरण उपस्थित व्यक्ति अरूण जाट पिता जगदीश जाट द्वारा किया जा रहा था। अरूण कुमार व मौतबिरान रतनलाल जाट पिता अमरचन्द जाट निवासी लालास व मांगीलाल जाट पिता किशोर जाट निवासी लालास की मौजूदगी में उक्त दुकान का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण उचित मूल्य के स्टॉक में एनएफएसए गेंहूॅ एवं पीएमजेकेवाई गेंहूॅ के स्टॉक के भौतिक सत्यापन में कुल 746 किलोग्राम गेंहूॅ अधिशेष पाया गया। गवाहों के समक्ष भौतिक सत्यापन करने पर प्रमाणितशुदा दुकान में 746 किलोग्राम गेंहूॅ स्टॉक से अधिक पाया गया। उक्त गेंहूॅ को उचित मूल्य दुकानदार एफपीएस 24326 के प्रतिनिधि अरूण जाट के कब्जे से अधिग्रहित कर मौके पर निकट के उचित मूल्य दुकानदार लक्ष्मीलाल मेवाडा एफपीएस कोड 13687 के प्रतिनिधि को सुपुर्द किया गया। मौके पर फर्द अधिग्रहण जब्ती तैयार कर मौतबिरान के समक्ष पढ लिख सुनकर बिना किसी दबाव के हस्ताक्षर कराये गये। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए सपठित राजस्थान खाद्यान्न एवं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 में जब्तशुदा सामग्री 746 किलोग्राम गेंहूॅ मय बारदाना निस्तारण करानें का आदेश प्रदान करावें। धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्त शुदा गेंहू मय बारदाना राजसात **(Confiscate)** किये जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का गहनता से अध्ययन/परिशीलन किया। हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। हमने फर्द मौका का अवलोकन किया। मौके के गवाहान के बयानों का अवलोकन किया। विपक्षी से जब्तशुदा गेंहू सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण की जाने वाली सामग्री का अनुचित लाभ प्राप्त करने तथा कालाबाजारी करने के लिए अवैध रूप से विक्रय करना प्रमाणित पाया जाता है। इस हेतु विपक्षी पूर्णतः जिम्मेदार है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के आधार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए सपठित राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जब्तशुदा गेहूं 746 किलोग्राम मय बारदाना को राजसात **(Confiscate)** किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी प्रवर्तक निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं दिनांक 18.02.2023 को प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा विपक्षी जगदीश चन्द्र जाट (उचित मूल्य दुकान) एफपीएस नंबर 24326 लालास तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ से जब्त शुदा 746 गेंहू मय बारदाना को **(Confiscate)** करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी उक्त गेंहू मय बारदाना के नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करावें। जब्तशुदा सामग्री के नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **26.09.2023** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official